

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न 4292
13 फरवरी, 2019 प्रश्न सं. 4292

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतगत बकाया राशि का संग्रह

4292. श्री इ

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतगत अस्पतालों को प्रतिपूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए का बकाया राशि लंबित है;

() यदि हाँ, तो कितना; यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के समक्ष चिन्ता जताई है;

() यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त मंत्रालय को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ड) यदि नहीं, तो क्या कारण है;

(च) सरकार द्वारा उक्त अस्पतालों को लंबित राशि जारी करने में कितना समय लगने का अनुमान है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

() () : मैं न भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतगत अस्पतालों को प्रतिपूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए का बकाया राशि लंबित है;

मैं वित्त मंत्रालय के समक्ष चिन्ता जताई है;

() यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वित्त मंत्रालय को इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ड) यदि नहीं, तो क्या कारण है;

15 45 फरवरी

() (.): ि -पीएमजेएवाई के कायानवयन हेतु पयाप्त ि ि ढ
स तालां को प्रतपूरत कायान्वयन को पद्धत के आधार पर बीमा कंपनयां
ज / ज क्षेत्र/ ज स स्थय एर्जसयां द्वारा कया जाता है। दावां के यथासमय
ि का निगरानी राष्ट्री स स्थय प्राधकरण द् ि ।

(): प्रक्रि ३ ि ि/ स ि, स क्षरित करार के आधा
15 से 45 दिनां के भीतर स कृत दावा राशि का प्रतपूरत का जाती है।
